यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, **जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तरकाशी** के माह 10/2015 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री एस.के जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 01.06.2018 से 10.06.2018 तक सम्पादित किया गया।

विगत लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार सचान, स.ले.प.अ. तथा श्री विजय कुमार पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 12.10.2015 से 23.10.2015 तक की गई। पर्यवेक्षण श्री राकेश कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा किया गया जिसमें माह 01/2011 से 09/2015 तक की अवधि आच्छादित की गई।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई विगत लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार सचान, स.ले.प.अ. तथा श्री विजय कुमार पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 12.10.2015 से 23.10.2015 तक की गई। पर्यवेक्षण श्री राकेश कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा किया गया जिसमें माह 01/2011 से 09/2015 तक की अवधि आच्छादित की गई।

1. वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2015 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** कार्यालय, जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तरकाशी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सम्पूर्ण उत्तरकाशी जनपद को निधियो का आवंटन किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान संदर्शिका में निर्देशित जिला स्तरीय अनुश्रवण कार्य।

   (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि करोड़ में)

वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत / अभ्यर्पण	
	स्थापना में	गैर स्थापना	स्थापना में	गैर स्थापना	स्थापना में	गैर स्थापना
2015-16	24.00	2.93	24.00	2.83	00	0.10
2016-17	22.10	5.44	22.10	5.24	00	0.20
2017-18	33.38	7.02	33.38	6.15	00	0.87
2018-19 upto may 2018	0.11	0.00	0.11	00	00	00

ब - (केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत इकाई को प्राप्त धनराशि -शून्य

(ii) इकाई को बजट आवंटन (निदेशक शिक्षा) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. महानिदेशक, शिक्षा
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी
5. जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक शिक्षा
6. उप शिक्षा अधिकारी बेसिक, बी. आर. सी.
7. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एस. एस. ए.

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, **जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तरः- 1 निर्माण कार्यो पर व्यय की गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रेषित ₹ 134.19 लाख।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की वित्तीय संदर्शिका के संलग्नक -10 अ में निर्धारित, प्रारूप में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि एवं उपभोग का विवरण (उपभोग प्रमाण पत्र) जिला स्तर से इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ कि **समस्त व्यय नियमानुसार किये गए, व्यय से सम्बंधित अभिलेख/वाउचर आदि, यथास्थिति जिला परियोजना कार्यालय/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर सुरक्षित रखे गए हैं। सभी कार्यदायी संस्थाओं से व्यय की पुष्टि में उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं;** जिला परियोजना अधिकारी द्वारा; राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित किया जाना प्रावधानित है।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि प्रोजेक्ट एप्रूबल बोर्ड द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत (सूची संलग्न-B) के पांच बृहद निर्माण कार्यो पर ₹ 16.49 लाख तथा (सूची संलग्न-C) 59 बालिका शौचालय निर्माण पर ₹ 126.26 लाख, सहित ₹ 16.49 लाख कुल ₹ 142.75 लाख के निर्माण कार्यो पर व्यय की गई धनराशि में से मात्र चार बालिका शौचालय निर्माण कार्यों के ₹ 8.56 लाख के ही उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए इस प्रकार ₹ **134.19** लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रेषित थे; साथ ही कार्यों की गुणवत्ता, कार्यों पूर्ण हो जाने की प्रमाणिकता सुनिश्चित किये जाने तथा सभी कार्यदायी संस्थाओं से व्यय की पुष्टि में अंतिम भुगतान बिल की छाया प्रति सहित, उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु जिला स्तर पर कोई कार्य योजना अमल में नहीं लाई जा रही थी।

इस सम्बन्ध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में कहा गया कि कार्यदायी संस्था (विद्यालय प्रवंधन समिति) को सम्पूर्ण बिल वाउचर एवं फोटो ग्राफ भेजने के सम्बन्ध में निर्देशित किया जा रहा है उत्तर मान्य नहीं था; क्योंकि निर्माण कार्यो पर व्यय की गई धनराशि ₹ 142.75 लाख में से मात्र चार बालिका शौचालय निर्माण कार्यों के ₹ 8.56 लाख के ही उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए इस प्रकार ₹ (142.75 - 8.56 = **134.19)** लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रेषित का प्रकरण, प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर 2:- सर्वशिक्षा अभियान के निर्देशों के विपरीत ₹ 20.26 लाख के निर्माण कार्यो को निर्धारित अवधि में पूर्ण न कराया जाना तथा निर्माण कार्य की राशि ₹ 12.86 लाख का अवरूद्ध रखा जाना।

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु जारी तकनीकी निर्देशिका के अंतर्गत विध्यालय भवनो की मरम्मत कार्यों को पूर्ण करने हेतु 01 माह की अवधि का प्रावधान किया गया था। परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान, उत्तरकाशी के लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत निम्नवत 04 विध्यालयों में मरम्मत कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विकास खंड	विध्यालय	स्वीकृत धनराशि	निर्गत करने की तिथि	कार्य की प्रगति
नौगाओ	प्रा.वी.फुवारगाँव	7.21 लाख	11.8.17	75%
भटवारी	प्रा.वी.बारसु	3.30 लाख	11.8.17	90%
चिन्यालीसौर	प्रा.वी.उल्लड़	3.83 लाख	11.8.17	75%
डुंडा	प्रा.वी.पाबसिंगोट	5.92 लाख	11.8.17	90%
		20.26 लाख		

लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उपरोक्त विध्यालयों को धनराशि निर्गत किए जाने के 09 माह कि अवधि (मई 2018 तक) बीत जाने के पश्चात भी निर्माण कार्ये अपूर्ण थे जो की सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु जारी निर्देशों की अवहेलना थी। निर्माण कार्यों की जो प्रगति दर्शाई जा रही थी उसके समर्थन मे इकाई द्वारा कोई भी साक्षय (एम.बी./अंतिम भुगतानित देयक) प्रस्तुत न किए जाने के कारण उक्त प्रगति प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है। लेखा अभिलेखों की जाँच में आगे यह पाया गया कि विकास खण्ड नौगाँव के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, हलना के पुर्ननिर्माण हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) को ₹ 12.86 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी परन्तु उक्त राशि SMC द्वारा अपने बैंक खाते में अवरूद्ध रखी गयी थी। सर्वशिक्षा अभियान के निर्देशों की अवहेलना कर कार्य निर्धारित अवधि मे पूर्ण न किए जाने का कारण पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के संबंध मे निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तथा ब्लॉक स्तर से SMC हलना को निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः कार्यों के निर्धारित अवधि में पूर्ण न किये जाने तथा ₹ 12.86 लाख की धनराशि के अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर 3:- अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के अंतर्गत किये गए अनुचित भुगतान 80000/- की वसूली तथा ₹ 40,000 की धनराशि के संदिग्ध भुगतान की जाँच

अवकाश यात्रा रियायत (LTC) नियमावली के नियमानुसार सरकारी सेवक तथा उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों हेतु अवकाश यात्रा रियायत सुविधा का उपभोग, उसके तैनाती स्थान से, भारत में किसी एक स्थान तक एक दिशा में जाने एवं वापिस आने का किराया, उसकी दौरे पर की गई यात्रा भत्ता की पात्रता की श्रेणी के अनुसार लघुतम रास्ता (Shortest Rout) से **लोक वाहन** द्वारा की गई यात्रा के किराये की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत (LTC) नियमावली के अनुसार यात्रा समाप्ति के पश्चात् निर्धारित अवधि के भीतर टिकट प्रस्तुत कर दावा किये जाने पर,पात्रता के अनुसार टिकट की धनराशि का भुगतान किया जाना अनुमन्य है।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि-

(i) इकाई के आदेश संख्या / जि० प० का० /1697 / उपार्जित अवकाश / 2015-16 दिनांक उक्तवत के अनुसार श्री बिजेंद्र सिंह राणा, जिला समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तरकाशी को उपार्जित यात्रा अवकाश रियायत सुविधा (LTC) की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अवकाश यात्रा की प्रतिपूर्ति हेतु श्री राणा द्वारा प्रस्तुत किये गए दावे के साथ हरिद्वार से अहमदाबाद तक की दो टिकट ₹ 2835 तथा वापिसी तीन टिकट रुपये 4245 की रेलगाड़ी द्वारा **प्रतीक्षा सूची** की रसीदें (कुल 7080/-) एवं ₹ 43910/- की टैक्सी की रसीदें संलग्न कर कुल ₹ 50990 का दावा प्रस्तुत किया गया जिसके विरुद्ध जिला परियोजना अधिकारी द्वारा ₹ 35000/-का भुगतान किया गया (LTC) नियमावली के अनुसार टैक्सी से यात्रा किया जाना अनुमन्य नहीं है, इस जानकारी के बाद भी इकाई द्वारा कर्मचारी को उक्त भुगतान किया गया जो अनुचित था।

(ii) रेलवे की ई-टिकटिंग प्रणाली द्वारा प्रतीक्षा सूची की टिकट कन्फर्म नहीं होने के स्थिति में प्रतीक्षा सूची का टिकट स्वत: निरस्त माना जाता है। अतः कार्यालय द्वारा उक्त तथ्य की पुष्टि करने के उपरांत ही रेलवे टिकट की धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए था एवं प्रतीक्षा सूची की टिकट कन्फर्म नहीं होने के स्थिति में यह मानकर कि यात्रा की ही नहीं गयी, श्री राणा को LTC के अंतर्गत अवकाश नगदीकरण के रूप में ₹ 40,000 (कार्यालय की पत्रावली के अनुसार) की धनराशि का अनुचित भुगतान हुआ, तथ्यों की जानकारी कर तत्काल वसूली किया जाना आवश्यक है ।

(iii) इकाई के आदेश संख्या / जि० प० का० /351-53/उपार्जित अवकाश/2016-17 दिनांक उक्तवत के अनुसार श्री दिनेश चन्द्र व्यास अतः प्रवक्ता, सम्प्रति जिला समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तरकाशी को उपार्जित यात्रा अवकाश रियायत सुविधा (LTC) की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अवकाश यात्रा की प्रतिपूर्ति हेतु श्री दिनेश चन्द्र व्यास द्वारा ₹ 46,000 का टैक्सी का बिल प्रस्तुत किया गया जिसके विरुद्ध इकाई द्वारा ₹ 45,000 का भुगतान चैक स. 053804 दिनांक 16.05.2017 द्वारा श्री व्यास को किया गया. अवकाश यात्रा रियायत (LTC) नियमावली के

अनुसार सुविधा के लाभ हेतु सरकारी सेवक द्वारा केवल लोक वाहन से की गई यात्राओं की टिकट की धनराशि की प्रतिपूर्ति ही की जानी अनुमन्य थी निजी **वाहन अथवा टैक्सी से नहीं**। तदनुसार श्री व्यास को किया गया ₹ 45,000 का भुगतान अनुचित हुआ।

उपरोक्त बिंदु (i) (ii) तथा (iii) के विवरणानुसार इकाई द्वारा श्री बिजेंद्र सिंह राणा, प्रवक्ता, सम्प्रति जिला समन्व तथा श्री दिनेश चन्द्र व्यास, प्रवक्ता, सम्प्रति जिला समन्वयक, को LTC के अंतर्गत किराये की प्रतिपूर्ति के रूप में कुल धनराशि (35000+45,000=80000/-) ₹ का अनुचित भुगतान किया गया। साथ ही अवकाश नगदीकरण के रूप में ₹ 40,000 की धनराशि का संदिग्ध भुगतान किया गया।

इस सम्बन्ध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में कहा गया कि मामला सही पाए जाने पर वसूली की कार्यवाही की जाएग।

उत्तर मान्य नहीं था; क्योंकि इस प्रकरण में इकाई द्वारा नियमों के विपरीत जाकरअनुचित भुगतान किया गया था जिसकी ब्याज सहित तत्काल वसूली किया जाना अपेक्षित थी, साथ ही अवकाश नगदीकरण के रूप में ₹ 40,000 की धनराशि का संदिग्ध भुगतान की जाँच किया जाना आवश्यक थी अतः ₹ 80000/- के अनुचित भुगतानके विरुद्ध उक्त धनराशि की वसूली तथा ₹ 40,000 की धनराशि के संदिग्ध भुगतान की जाँच का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अवधि	प्रस्तर संख्या
106/ 2014-15	01/2011 से 09/2015	भाग-II'**अ-** प्रस्तर संख्या -1 भाग-II'ब प्रस्तर संख्या- 1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
106/ 2014-15	भाग-II'**अ-** प्रस्तर संख्या -1 भाग-II'ब प्रस्तर संख्या- 1,2,3	अनुपालन आख्य तैयार की कार्यवाही की जा रही है, तैयार होते ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जाएगी	इस सम्बन्ध में नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी -1 निर्गत की जा रही है	---

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----शून्य--

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, **जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) 2015-16,2016-17,2017-18 के अन्तर्गत ड्रेस हेतु जारी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भुगतान देयक

(ii) 2015-16,2016-17,2017-18 के अन्तर्गत पुनर्निर्माण हेतु जारी ₹ 276.77 लाख धनराशि के व्यय वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र (सम्बन्धित SMC)

2. सतत् अनियमितताएः

-- शून्य --

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र0सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री धर्म सिंह रावत	DPO SSA उत्तरकाशी	22.09.2015 से 05.10.2016
2	श्री अनिल कुमार	DPO SSA उत्तरकाशी	06.10.2016 से 22.11.2016
3	श्रीमती हेमलता गौड़	DPO SSA उत्तरकाशी	23.11.2016 से 21.05.2017
4	श्री रायसिंह रावत	DPO SSA उत्तरकाशी	22.05.2017 से अव तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, **जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित की जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून को प्रेषित कर दी जाएगी।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.